6/1/21

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। विपक्षीगण सं. 2 की पूर्व में तामील हो चुकी है। गैर हाजिर। अतः इनके खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित किये जाते है। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गयी पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अतः प्रार्थना-पत्र धारा 111/128 स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जि -भीलवाड़ा

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

तारीख दायर : 04.09.2020

प्रकरण संख्या : 49/2020

अनवान

शंकरी देवी पत्नि मोहनलाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी राणाजी का गुढा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)। ............ प्रार्थी

**बनाम**

01. गोपालकृष्ण पिता बालकृष्ण जाति जोशी उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी मौका पाड़ा 20 कोटा जिला भीलवाड़ा (राज0)।
02. महावीर पिता लाभचन्द जाति धाकड़ उम्र वयस्क पेशा काश्त निवासी गुढ़ा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)।

............ विपक्षीगण

## प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा0ले0रे0एक्ट

– : आदेश : –

दिनांक 6/1/2021

प्रार्थना पत्र प्रार्थी शंकरी देवी पत्नि मोहनलाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी राणाजी का गुढा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0) ने जरिये अभिभाषक श्री सुनील जोशी प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम गुढ़ा पटवार हल्का गुढ़ा तहसील बिजौलियां में आराजी नं0 704/1 रकबा 5–00 बीघा भूमि स्थित है। विपक्षीगण आये दिन सीमाओं को लेकर विवाद करते रहते है। अतः पत्थरगढी का आदेश प्रदान कराया जावें। साथ में प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथ पत्र संलग्न है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2072– 2075 के अवलोकन से प्रार्थी वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार/गैर खातेदार काश्तकार है। पडोसीयान के विवाद करने बाबत् शपथ पत्र संलग्न है पत्थरगढी से किसी स्वत्व पर कोई विपरित प्रभाव नहीं पडता है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट स्वीकार किया जाकर ग्राम गुढ़ा पटवार हल्का गुढ़ा तहसील बिजौलियां में आराजी नं0 704/1 रकबा 5–00 बीघा भूमि की बशामलात सभी काश्तकारान एवं पडोसीयान को सूचित करते हुए पत्थरगढी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगढी शुल्क राशि 100/– रूपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियां को लिखा जावें। भू0अ0नि0 बिजौलियां को कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। फीस 500/– रूपये वक्त पत्थर गढी प्रार्थी मौके पर अदा करेगा।

प्रार्थना पत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हों।

आदेश सुनाया गया।

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां (भीलवाड़ा)

(महेश चन्द्र मान)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां भीलवाड़ा